प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः— 02.07.2021

थाना को0शहर पुलिस द्वारा गैग0 अधि0 के वांछित/15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित फरमान उर्फ मासूम नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनॉक 02.07.2021 को थाना को0शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिग के दौरान काली मन्दिर चौराहे से थाना को0शहर पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 154/21 धारा 2/3 गैग0 अधि0 के वांछित अभि0 फरमान उर्फ मासूम पुत्र निसार कुरैशी निवासी मौ0 चाहशीरी थाना को0शहर जनपद बिजनौर को नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्त फरमान उर्फ मासूम उपरोक्त काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा 15 हजार रूपये का पुरूस्कार घोषित किया गया था। चाकू नाजायज बरादमगी के सम्बन्ध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0 432/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 बनाम फरमान उर्फ मासूम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभि0गण का विवरणः—

1— **फरमान उर्फ मासूम पुत्र निसार कुरैशी निवासी मौ0 चाहशीरी थाना को0शहर जनपद बिजनौर**

बरामदगी

1— 01 चाकू नाजायज

आपराधिक इतिहास अभि0 आमिर उपरोक्तः—

1. मु0अ0सं0 670/20 धारा 379 भादवि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0—711/20 धारा 307 भादवि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0—154/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 432/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः—

1— श्री राधेश्याम प्रभारी निरीक्षक को0शहर जनपद बिजनौर।
2— उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
3— कां0 2166 अभिषेक तिवारी थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
4— कां0 1389 ओमवीर थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 321/21 धारा 323/504/525/306 भादवि में वाँछित अभियुक्तगण 1- धर्मवीर पुत्र चन्दन सिंह 2- वीने उर्फ बन्टी पुत्र धर्मवीर 3- महेन्द्र पुत्र धर्मवीर निवासीगण ग्राम अलियारपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना नूरपुरः- थाना नूरपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त योगेश s/o जगदीश R/O गांव धनौरा थाना धनौरा मण्डी जिला अमरोहा एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।